करनाल तेल शोधक कारखाना

181. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाल में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या यह सही है कि इसके निर्माण कार्य को पूरा होने में विलम्ब के कारण इस परियोजना की समग्र लागत में वृद्धि हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ङ) क्या सरकार वर्तमान तेल संकट को देखते हुए तेल शोधक कारखाने के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए विशेष प्रयास कर रही है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) से (ङ) देश में समग्र शोधन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार करनाल रिफाइनरी समेत सभी रिफाइनरी परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति सचेत है । इसके अनुरूप सरकार ने इंडियन आॅयल कार्पोरेशन को प्रस्तावित रिफाइनरी के लिए उच्चतम संसाधन योजना सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाहित करते हुए शीघ्र एक संशोधित विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है । संशोधित रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लागत और समय के प्रारूप को निर्धारित किया जायेगा ।

"सी०ई०ए० फोरकास्ट्स सार्टफाल इन पावर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

182. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1991 के टेलीग्राफ में "सी० ई०ए० फोरकास्ट्स 8757 मे०वा० शार्टफाल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी अनुमानो के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में कितनी कमी आने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार विद्युत की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिये इसके उत्पादन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इन मामलों में अभी तक क्या-क्या रचनात्मक कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव धकने) : (क) जी, हां ।

(ख) 1990-91 के अन्त में देश में प्रत्याशित व्यस्ततमकालीन मांग की कमी 8295 मे०वा० होगी ।

(ग) और (घ) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 एवं विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 जो भारत में विद्युत सप्लाई उद्योग को अभिशासित करते हैं, निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को प्रतिवारित नहीं करते । विद्युत की बढ़ती हुई मांगों एव संसाधनों की कमी, जो सार्वजनिक क्षेत्र की यूटिलिटियों के लिये अवरोधक होते हैं, को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, विद्युत उत्पादन सप्लाई एव वितरण में निजी क्षेत्र की इस शर्त पर कि निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाएंगे, अधिकाधिक सहभागिता

देने हेतु प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है और इस प्रयोजन से 20 जून, 1990 को मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की गई है। कुछ राज्यों द्वारा अपनी परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 17258 मे०वा०हे०क्रो० निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर निजी क्षेत्र के उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा चुके हैं।

एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए नीति

183. डा० बापू कालदाते :
श्रीमती मीरा दास :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आरक्षित श्रेणी" में प्रदत्त "एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप" को कुछ विशेष परिस्थितियों में एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्तरित करने के लिए कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, ऐसे कितने स्थानांतरणों की अनुमति दी गई और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, रक्षा श्रेणी के अधीन प्रदत्त डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थानान्तरण के लिए अनुरोध पर विचार तभी किया जा सकता है जब सैनिकों की विधवाओं के मामले में उक्त डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन उनके पैतृक नगर से काफी दूर किया गया हो अथवा विकलांग रक्षा कार्मिक के मामले में बीमारी के आधार पर हो बशर्ते जिस शहर/क्षेत्र में परिवर्तन मांगा गया हो वहां अपेक्षित चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	जहां से स्थानान्तरित किया गया	जहां स्थानान्तरित किया गया
1988-89	मैसर्स अमृत एन्टरप्राइजेज	मुंगेर	दिल्ली
	मैसर्स विक्टरी गैस सर्विस	पिलानी	श्री गंगानगर
1989-90	मैसर्स आनन्द एन्टरप्राइजेज	अनन्तपुर	जालंधर
	मैसर्स रतन गैस एजेन्सी	शिलांग	दिल्ली
	मैसर्स आत्म गैस सर्विस	कुडप्पा	लुधियाना
1990-91	मैसर्स जय जवान गैस सर्विस	राउरकेला	दिल्ली
	मैसर्स दशमेश एजेन्सी	देवगिरि	पंजाब
	मैसर्स श्री लक्ष्मी एन्टरप्राइजेज	रामागुन्डम	हैदराबाद